फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

2024/160

दिनेश कुमार वगै0 बनाम मूलचन्द वगै0

मुकदमा नम्बर :– 61 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19.07.2024	प्रार्थी अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 05.08.2024 को पेश हो। [signature]	
	05/8/24	व. प्रार्थी उप0। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से R.S. कुमार वकील ने पावर पेश किया। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 बाद तामील अनुपस्थित है अतः इनकी तामील मानी जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 08/8/24 को पेश हो। [signature]	
	8/8/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 12/8/24 को पेश हो। [signature]	[illegible]
	12/8/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/8/24 को पेश हो। [signature]	
	21/8/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हो। [signature]	

23/8/17

प्र.प्र.उप./ अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। नकल दिलाई गयी। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रा.पत्र नं.1 पर बहस हेतु निवेदन किया बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के हक हिस्से में किसी प्रकार का अवैध दखलअंदाजी नहीं करे तो मुझे कोई आपत्ति एतराज नहीं है प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस पर मनन किया गया। प्रा.पत्र नं.1 व जवाबदावा का बगौर अवलोकन किया गया। मूल वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमें खातेदारी की घोषणा होनी है पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता नहीं बढे। इसलिए उभयपक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.रा.नं. 903/2 कुल किता 1 का कुल रकबा 2.02 है0 भूमि वाके ग्राम मनिकपुर तहसील चौमूं जिला जयपुर के उपयोग-उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करे, मौका व स्थिति को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं उक्त आदेश ता-फैसला मूल वाद प्रभावी किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक [illegible]
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)